पत्र संख्या : भाविप्रा/ नि.मु/ पीसी/2014 **दिनांक : 15 अप्रैल, 2014**

सेवा में,
महाप्रबंधक (वित्त व लेखा)/ सं.म.प्र (वित्त व लेखा)/ उप म.प्र (वित्त व लेखा)/ व.प्र (वित्त व लेखा)
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
दक्षिणी क्षेत्र/ पूर्वी क्षेत्र/ पश्चिमी क्षेत्र/ उत्तरी क्षेत्र/ उत्तर-पूर्वी क्षेत्र
चेन्नई/ कोलकाता/ मुंबई/ दिल्ली/ गुवाहाटी
चेन्नई हवाईअड्डा/ ने.सु.चं.बो.अं. हवाईअड्डा/ चेन्नई प्रोजेक्ट/ कोलकाता प्रोजेक्ट
सीएटीसी इलाहाबाद/ आरसीडीयू/ आईएए/ सैप

विषय : सेवानिवृत्त कार्मिकों को प्रतिपूर्ति किए गए चिकित्सा व्यय की कर देयता के संबंध में।

महोदय,

पत्र संख्या भाविप्रा/ नि.मु/ पीसी/2014 दिनांकित 30 जनवरी, 2014 के संदर्भ में आयकर अधिनियम की धारा 17 के तहत कर देयता की जानकारी हेतु सेवानिवृत्त कार्मिकों को अपनी कर-योग्य आय की घोषणा प्रस्तुत करने को कहा गया था। इसी क्रम में यह भी संज्ञान में आया है कि कुछ सेवानिवृत्त अधिकारियों को अपनी कर योग्य आय घोषित करने में आपत्ति है। पूर्व निर्देशों की समीक्षा करते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सेवानिवृत्त अधिकारियों को कर-योग्य आय की घोषणा प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। किसी व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से कर-योग्य आय की घोषणा प्रस्तुत किए जाने पर, कर की गणना की जा सकती है तथा उस व्यक्ति पर लागू कर के अनुसार कर की कटौती की जा सकती है। कोई अन्य घोषित आय न होने पर सेवानिवृत्त कार्मिकों पर लागू कर की गणना करते हुए भुगतान विनियमित किया जाएगा।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी है।

भवदीय,

--हस्ता ०--
(जी.रविचंद्रन)
वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त)